बिजली चोरी में 12 लोगों को जेल, 3 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्लीः 12 सितंबर, 2013। *कड़कड़डूमा और द्वारका स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट्स ने बिजली चोरों के खिलाफ कड़ा रूख अख्तियार करते हुए, हाल के दिनों में कुल 8 मामलों में, 12 लोगों को सजा सुनाई है। इनमें से 7 आरोपियों को सश्रम कैद की सजा सुनाई गई है। उन्हें पांच महीने से लेकर 3 साल तक की सजा मिली है। आरोपियों पर कुल 3 करोड़ रूपये का जुर्माना भी किया गया है। इन 12 लोगों में 2 उद्योगपति हैं, 3 फैक्टरी मालिक हैं, 1 टेलरिंग यूनिट का मालिक है, 4 व्यावसायिक यूजर्स हैं और 3 घरेलू उपयोगकर्ता हैं।*

यहां पेश हैं, दो बड़े मामलों की डिटेलः

बिजली चोर उद्योगपति को 2 साल की सश्रम कैद, 43 लाख जुर्माना

कड़कड़डूमा स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने पूर्वी दिल्ली के एक बड़े उद्योगपति, भूपेंदर बंसल को बिजली चोरी का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने बंसल को 2 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, उन पर 43 लाख रूपये का जुर्माना भी किया है। विश्वास नगर में अपना उद्योग चलाने वाले बंसल को औद्योगिक कार्यों के लिए 76 किलोवॉट बिजली की चोरी करते पकड़ा गया था।

अपने आदेश में जज डॉ शहाबुद्दीन ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा– आरोपी को सश्रम कैद की सजा दी गई है, और उन पर 43 लाख रूपये का जुर्माना भी किया गया है। ऐसे में, मेरा विचार है कि अगर उसे जमानत दी जाती है, तो यह न्याय नहीं होगा। इसलिए, यह आवेदन नामंजूर किया जाता है।

गौरतलब है कि 2004 में बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट टीम ने बंसल के विश्वास नगर स्थित उद्योग पर छापा मारा था, जहां वह चोरी की बिजली से अपना औद्योगिक यूनिट चला रहे थे। बंसल को 76 किलोवॉट की सीधी बिजली चोरी करते पकड़ा गया था। उस वक्त, बिजली कंपनी ने उस पर 53 लाख रूपये का जुर्माना किया था, जिसका भुगतान तय समय के भीतर आरोपी ने नहीं किया। उसके बाद, बीवाईपीएल ने उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था।

चार व्यवसाइयों को 3 साल की सश्रम कैद, 8 लाख जुर्माना

उधर, साकेत स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने बिजली चोरी के जुर्म में चार लोगों को 3 साल के सश्रम कैद की सजा सुनाई है। उन पर 8 लाख रूपये का जुर्माना भी किया गया है। उन्हें 9.39 किलोवॉट बिजली की सीधी चोरी का दोषी पाया गया था।

अडिशनल सेशन जज श्री राकेश कुमार ने अपने आदेश में कहा– परिस्थितयों को देखते हुए मैं मानता हूं कि इन दोषियों के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, ताकि समाज में कड़ा संदेश जाए, और ऐसे अपराधों में शामिल लोग अपराध करने से पहले दो बार सोचें। ... सभी दोषियों को 3 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई जाती है, और साथ ही जुर्माने का भुगतान करने का भी आदेश दिया जाता है। गौरतलब है कि अगर दोषी जुर्माने का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें और छह महीने की साधारण कैद की सजा काटनी होगी।

2008 में बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड ने सीआईएसएफ के साथ मिलकर वसंतकुंज स्थित एक व्यावसायिक परिसर पर छापा मारा था। व्यावसायिक कार्यों के लिए इस जगह का उपयोग जगदीश अरोड़ा, संदीप सिंह, नरेंदर सिंह और दलेल सिंह कर रहे थे। दलेल सिंह रजिस्टर्ड उपभोक्ता थे, जबकि बाकी अन्य किरायेदार थे। हालांकि, यहां दो मीटर लगे हुए थे, लेकिन वे पूरी तरह से डिसकनेक्टेड थे। आरोपी व्यावसायिक कार्यों के लिए बिजली की सीधी चोरी कर रहे थे। बिजली चोरी के आरोप में बिजली कंपनी ने उन पर 3.30 लाख रूपये का जुर्माना किया था, जिसका भुगतान आरोपियों ने नहीं किया। उसके बाद इस मामले में कानूनी कार्रवाई की गई।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल व बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

`